न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2020/50

शिव नारायण आत्मज भंवरलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम धरनावद पोस्ट श्री छतरपुरा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा हाल निवासी मकान नम्बर 26 तिलक कोलोनी खेडली फाटक कोटा जिला कोटा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–

1. कमलेश शर्मा आत्मज स्व0 श्री शिवनारायण जाति ब्राह्मण निवासी नेमी नगर, लाल बाग झालरापाटन तहसील झालरापाटन जिला झालावाड ।
2. योगेश शर्मा आत्मज स्व0 श्री शिवनारायण जाति ब्राह्मण निवासी मकान नम्बर 26 तिलक नगर कोलोनी खेडली फाटक कोटा जिला कोटा ।
3. श्रीमती कान्ता शर्मा पुत्री स्व0 श्री शिवनारायण पत्नी स्व0 श्री विनोद चतुर्वेदी जाति ब्राह्मण निवासी त्रिवेणी नगर झालरापाटन तहसील झालरापाटन जिला झालावाड।
4. श्रीमती आशा व्यास पुत्री स्व0 श्री शिवनारायण पत्नी श्री सत्यनारायण व्यास जाति ब्राह्मण निवासी सुनेल तहसील पिडवा जिला झालावाड ।
5. कौशल्या बाई पत्नी स्व0 श्री शिवनारायण जाति ब्राह्मण निवासी त्रिवेणी नगर झालरापाटन तहसील झालरापाटन जिला झालावाड ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. नरेन्द्र शर्मा आत्मज गोपाल दत्त शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी मकान नम्बर 28/54 न्यू कोलोनी गुमानपुरा कोटा जिला कोटा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री विरेन्द्र राठौर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 01 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 18.10.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.02.2020 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम धरनावद तहसील रामगंजमण्डी में कुल 09 तिा की रकबा 34 बीघा 02 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि पूर्व में वादी के मामा श्री मनोहरलाल के पिता रामचन्द्र एवं प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के संयुक्त खातेदारी में चली आ रही थी । उक्त भूमि में वादी के मामा श्री मनोहरलाल का संयुक्त रूप से नाम दर्ज है । वादी के मामा मनोहरलाल का निधन दिनांक 19.05.1999 को होने के बाद वादी वसीयती वारिस होने से मनोहरलाल के स्थान पर उक्त सम्पूर्ण आराजी का हिस्सेदार बना । वादी का नाम इंतकाल संख्या 691 दिनांक 12.11.2001 से दर्ज हुआ । उक्त भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा दर्ज है । उक्त भूमि के बाद बन्दोबस्त नये खसरा नम्बर कायम हुए । वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । वादी को अधिकार है कि वह वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन करवाये और उसके हिस्से में प्राप्त होने वाली भूमि को पृथक अपने खाते दर्ज करावे और पृथक लगान कायम करावे ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य उनके हिस्से अनुसार विधिवत विभाजन किया जावे तथा वादी को प्राप्त होने वाली भूमि वादी के नाम पृथक से दर्ज की जावे तथा पृथक लगान कायम किया जावे ।

4. प्रतिवादी क्रम 01 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादी के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादी का वाद खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 07.02.2020 के द्वारा वाद वादी स्वीकार करते हुए विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री पारित की ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 07.02.2020 से व्यथित होकर प्रतिवादी क्रम 01 (मृतक) शिवनारायण के वारिसान अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी मनोहर लाल के पिता के कब्जे काश्त में नहीं थी । उक्त भूमि पर उनके द्वारा कब्जा वापस प्राप्त करने की मियाद समाप्त हो गयी थी उनके तथाकथित हक–हकूक समाप्त हो गये थे इसके उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय ने वादी रेस्पोडेन्ट का वाद डिक्री कर दिया । मनोहर लाल जी अविवाहित एवं लाऔलाद हैं प्रतिवादी अपीलान्ट उनका उत्तराधिकारी है । उक्त भूमि मनोहर लाल की मृत्यु के 25 वर्ष पूर्व से ही प्रतिवादी अपीलान्ट के नाम दर्ज है । उक्त भूमि अपीलान्ट के तन्हा कब्जे में चली आ रही है । वादी रेस्पोडेन्ट मनोहर लाल की मृत्यु के बाद फर्जी बनावटी एवं झूंठी वसीयत बनाकर उक्त आराजी को हडपना चाहते हैं । अधीनस्थ न्यायलय ने अपीलान्ट को शहादत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है । वादी रेस्पोडेन्ट ने कथाकथित वसीयत को प्रमाणित नहीं करवाया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव प्रारम्भिक डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 07.02.2020 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गईं । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि परीक्षण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट के द्वारा विभाजन का दावा पेश किया गया जिसको डिक्री कर परीक्षण न्यायालय ने त्रुटि की है । वादग्रस्त आराजी मनोहर लाल के कब्जे में नहीं थी । उनके खातेदारी अधिकार समाप्त हो गये थे इसके बावजूद 1/2 हिस्से की डिक्री पारित की है । मनोहर लाल जी अविवाहित एवं लाऔलाद थे । प्रतिवादी अपीलान्ट उनके उत्तराधिकारी हैं । अपीलान्ट ने उनकी सेवा की थी । सम्पूर्ण आराजी अपीलान्ट के तन्हा कब्जे में है । मनोहर लाल का अंतिम संस्कार भी अपीलान्ट ने किया था । एक फर्जी वसीयत के आधार पर वादी ने त्रुटिपूर्ण रूप से नामान्तरकरण संख्या 691 से वादग्रस्त आराजी अपने नाम दर्ज करवायी है । मनोहर लाल वसीयत निष्पादित करने में सक्षम नहीं थे । अपीलान्ट को शहादत का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है । तनकीयात का निर्णय विधि–विरूद्ध रूप से किया गया है । वाद– विषयक आराजी पैतृक है जिसकी वसीयत नहीं की जा सकती । अपीलान्ट का आदेश 06 नियम 17 सीपीसी का प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि की है । वसीयत को भारतीय साक्ष्य अधिनियम एवं भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार प्रमाणित नहीं करवाया गया है । असल वसीयत भी पेश नहीं करवायी गई है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर परीक्षण का निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.02.2020 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरडी 2008 पेज 714, आरआरडी 1994 पेज 659, आरआरटी 2010 (1) पेज 206, आरआरटी 2009–10 (सप्ली0) पेज 61 उद्वरत की ।

9. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि दावा धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विभाजन के लिए पेश किया गया था । पक्षकार सहखातेदार दर्ज थे और सहखातेदारों के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार विभाजन की डिक्री पारित की गई है । अपीलान्ट का कोई काउन्टर क्लेम नहीं था । रेस्पोडेन्ट के पक्ष में नामान्तरकरण खोला गया है उसको भी कभी चैलेंज नहीं किया गया । वसीयत के आधार पर रेस्पोडेन्ट को खातेदार घोषित किया गया है । यदि वसीयत को नहीं माना जावे तब भी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार अपीलान्ट मनोहर लाल का प्रथम श्रेणी का वारिस नहीं है वरन् प्रथम श्रेणी के वारिस में उनकी बहिनें हैं । अपीलान्ट को उस वसीयत को चैलेंज करने का कोई अधिकार नहीं है । अपीलान्ट ने आदेश 07 नियम 11 सीपीसी एवं आदेश 06 नियम 17 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पेश किये जिनको खारिज किया गया है और माननीय राजस्व मण्डल द्वारा रिवजीन भी खारिज हो चुका है । परीक्षण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.02.2020 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । परीक्षण न्यायालय में वादी के द्वारा एक दावा विभाजन का पेश किया गया है जिसका जवाबदावा प्रतिवादी क्रम 01 के द्वारा पेश किया गया । परीक्षण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर 06 तनकीयात कायम की हैं । परीक्षण न्यायालय में वादी की ओर से नकल जमाबन्दी संवत् 2004–24 नया खाता संख्या 326 प्रदर्श– 1 पेश की है जिसके अनुसार कुल 09 किता की रकबा 5.55 हैक्टर आराजी शिवनारायण आत्मज भंवर लाल, रामकंवरी पत्नी भंवर लाल हिस्सा 1/2, नरेन्द्र शर्मा पुत्र गोपाल दत्त हिस्सा 1/2 दर्ज है ।

नकल खसरा गिरदावरी एवं नक्शा ट्रेस संलग्न हैं परन्तु इन पर कोई प्रदर्श नम्बर अंकित नहीं है ।

11. परीक्षण न्यायालय में प्रतिवादी की ओर से नकल नामान्तरकरण संख्या 691 प्रदर्श– 1–ए पेश किया है जिसके अनुसार मनोहर लाल की मृत्यु हो जाने पर वसीयत के आधार पर उनके 1/2 हिस्से में वादी का नाम दर्ज किया गया है ।

12. परीक्षण न्यायालय में वादी की ओर से बयान नरेन्द्र शर्मा कराये गये हैं ।

13. एक प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रतिवादीगण की ओर से पेश किया गया है जिसका जवाब वादी की ओर से दिया गया है । इस प्रार्थना पत्र को परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 07.06.2019 को खारिज किया है । एक प्रार्थना पत्र आदेश 06 नियम 17 सीपीसी के तहत प्रतिवादीगण ने भी पेश किया गया है जिसका जवाब वादी के द्वारा दिया गया है और परीक्षण न्यायालय ने इस प्रार्थना पत्र को दिनांक 06.09.2019 को खारिज किया है ।

14. पक्षकारों के द्वारा परीक्षण न्यायालय में कोई पारिवारिक शजरा पेश नहीं किया गया है । प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी जो अपीलान्टगण द्वारा परीक्षण न्यायालय में पेश किया गया है उसमें मद संख्या 01 में यह अंकित किया गया है कि वादग्रस्त भूमियॉ बाबूलाल के खाते में थी । बाबूलाल की मृत्यु के बाद उनके 02 पुत्र रामचन्द्र एवं भंवरलाल के नाम दर्ज हुई । रामचन्द्र के 04 वारिस हुए मनोहरलाल पुत्रियॉ अवन्ती, गिरिजा और ललिता । भंवर लाल के एक पुत्र शिवनारायण हुए । प्रार्थना पत्र में यह भी अंकित किया गया है कि भंवर लाल की मृत्यु के बाद उनके खाते की आराजी प्रतिवादी शिवनारायण के खाते में दर्ज की गई और रामचन्द्र की मृत्यु के बाद त्रुटिपूर्ण रूप से सम्पूर्ण आराजी उनके पुत्र मनोहर लाल के खाते में दर्ज की गई जबकि इनकी 03 पुत्रियॉ मौजूद थी । यदि प्रतिवादी अपीलान्ट के इस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को सही माना जावे तो ऐसी स्थिति में रामचन्द्र जी के वारिस मनोहरलाल, अवन्ती, गिरिजा और ललिता हैं । मनोहर लाल यदि लाऔलाद फौत हुए हैं और उनकी वसीयत को नजरअन्दाज किया जावे तो भी उनके हिस्से की आराजी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार अवन्ती, गिरिजा एवं ललिता प्राप्त करने की अधिकारिणी होगी न कि प्रतिवादी अपीलान्ट । वसीयत को वो ही व्यक्ति चैलेंज कर सकता है जिनके हित एवं हक वसीयत से प्रभावित होते हो । इस प्रकरण में मनोहर लाल की वसीयत से प्रतिवादी अपीलान्ट के हित प्रभावित नहीं हो रहे हैं । वसीयत के अभाव में भी यह आराजी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार वो प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि वादी ने विभाजन का दावा पेश किया है और प्रतिवादी अपीलान्ट ने कोई काउन्टर क्लेम परीक्षण न्यायालय में हक घोषणा का पेश नहीं किया है । वादग्रस्त आराजी पक्षकारों के संयुक्त खाते में दर्ज है जिसके राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री पारित की गई है । संयुक्त खाते की आराजी में सह खातेदार का कब्जा दूसरे सहखातेदार के प्रतिकूल नहीं होता है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट के द्वारा उद्धरत नजीर आरआरटी 2010 (1) पेज 206, आरआरटी 2009–10 (सप्ली0) पेज 61 यहॉ चस्पा नहीं होती है । तद्नुसार परीक्षण न्यायालय ने दावा वादी डिक्री करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.02.2020 बहाल रखा जाता है ।

16. निर्णय आज दिनांक 18.10.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

18/10/21

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2020/50

शिव नारायण आत्मज भंवरलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम धरनावद पोस्ट श्री छतरपुरा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा हाल निवासी मकान नम्बर 26 तिलक कोलोनी खेडली फाटक कोटा जिला कोटा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–

1. कमलेश शर्मा आत्मज स्व0 श्री शिवनारायण जाति ब्राह्मण निवासी नेमी नगर, लाल बाग झालरापाटन तहसील झालरापाटन जिला झालावाड ।
2. योगेश शर्मा आत्मज स्व0 श्री शिवनारायण जाति ब्राह्मण निवासी मकान नम्बर 26 तिलक नगर कोलोनी खेडली फाटक कोटा जिला कोटा ।
3. श्रीमती कान्ता शर्मा पुत्री स्व0 श्री शिवनारायण पत्नी स्व0 श्री विनोद चतुर्वेदी जाति ब्राह्मण निवासी त्रिवेणी नगर झालरापाटन तहसील झालरापाटन जिला झालावाड।
4. श्रीमती आशा व्यास पुत्री स्व0 श्री शिवनारायण पत्नी श्री सत्यनारायण व्यास जाति ब्राह्मण निवासी सुनेल तहसील पिडवा जिला झालावाड ।
5. कौशल्या बाई पत्नी स्व0 श्री शिवनारायण जाति ब्राह्मण निवासी त्रिवेणी नगर झालरापाटन तहसील झालरापाटन जिला झालावाड ।

––अपीलार्थी

बनाम

1. नरेन्द्र शर्मा आत्मज गोपाल दत्त शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी मकान नम्बर 28/54 न्यू कोलोनी गुमानपुरा कोटा जिला कोटा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

––प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.02.2020 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

.ाद संख्याः 28/दावा/2013

1. नरेन्द्र शर्मा आत्मज गोपाल दत्त शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी मकान नम्बर 28/54 न्यू कोलोनी गुमानपुरा कोटा जिला कोटा ।

——वादी

बनाम

1. शिव नारायण आत्मज श्री भंवर लाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम धरनावदा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
2. श्रीमती रामकंवरी पत्नी श्री भंवर लाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम धरनावदा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.02.2020 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 18.10.2021 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री नरेन्द्र गुप्ता एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री विरेन्द्र राठौड के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.02.2020 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 18.10.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

18/10/21

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा